फर्द अहकाम

(नियम 20)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम बयाना
बनाम गोविन्द
गंगाराम नं. .... सन् ....
दावा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
दावा [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये [illegible] [illegible] कर पत्रावली दिनांक 24/7/15 को पेश हो।	
पीठासीन अधिकारी ..... पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/8/15 को पेश हो रीडर एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना	
पीठासीन अधिकारी [illegible] 1.1.03 प्रति [illegible] है [illegible] [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/9/15 को पेश हो रीडर एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना	[illegible] 7/8/15
पीठासीन अधिकारी दौरा/अवकाश बयाना पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/11/15 को पेश हो रीडर एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना	

Left margin dates: 7/8/15, 21/9/15, 11/9/15

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/12/24	पत्रावली पेश। उपस्थित। प्रार्थी द्वारा दिनांक 23/01/24 को एक प्रा० आदेश 1 नियम 10 CPC पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी के प्रार्थीगण 1/8 1/8 भाग के हिस्सेदार खातेदार है प्रार्थीगण को उक्त आराजी के हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड/दानपत्र से प्राप्त हुआ है। वादी द्वारा हमें जानबूझकर पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है पक्षकार मुकदमा बनाये जाने का निवेदन किया। हमने विद्वान अधिवक्तागण को सुना। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 CPC स्वीकार किया जाता है प्रार्थी को पक्षकार मुकदमा बनाया जाता है। संशोधित वादपत्र/जवाब पेश हो पत्रावली दि 10/3/25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी	
10/3/25	पीठासीन अधिकारी ...... हैं पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/4/25 को पेश हो रीडर ऑ./एस.डी.एम	
17/4/25	पीठासीन अधिकारी ..... मार्गदर्शन में हैं पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/5/25 को पेश हो रीडर ऑ./एस.डी.एम	
02/05/25	पत्रावली आज वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तारीख पेशी से पूर्व तलब की गई। वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण में प्रार्थी कोई भी कार्यवाही करना नहीं चाहता व विड्रो के आधार पर खारिज	[signature] ... [signature] 2/5/25

तारीख हुक्म

करना चाहता है। इसने वादी को सुना। वादी की पहचान एडवोकेट लक्ष्मण प्रसाद शर्मा के द्वारा की गई। प्रार्थना पत्र वादी स्वीकार किया जाता है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर दावा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.